बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

विषय :-विमुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास योजना का सरलीकरण के संबंध में।

बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन एवं विमुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। इसी क्रम में विमुक्त कराए गए प्रत्येक बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए 10,000 रू0 राज्यांश एवं 10,000/- रू0 केन्द्रांश, कुल 20,000/-रू0 कर्णाकित है। इस राशि से विमुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को स्वरोजगार हेतु परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा देय सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि उन्हें पूर्ण रूपेण पुनर्वासित किया जा सके। इस संबंध में विभागीय पत्रांक सं0 2/बी0एल0-1024/96 श्र0 नि0 19 दिनांक 10.1.97 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को समुचित निदेश दिया गया है। परन्तु ऐसा देखा जा रहा है कि विमुक्त बंधुआ मजदूरों को स्वरोजगार हेतु परिसम्पत्तियां क्रय कर उपलब्ध कराने में कठिनाईयां उत्पन्न हो रही हैं एवं इस कारण उन्हें पुनर्वासित करने के कार्य में अनावश्यक देर हो रही है। बंधुआ मजदूर मूलत: समाज के हाशिए पर ठिठका मानव होता है जिसका पुनर्वास विमुक्त कराए जाने के तुरंत बाद नहीं हो पाने पर उसके पुन: बंधुआ बन जाने की पूरी संभावना रहती है।

अतएव सभी पहलुओं पर भली भांति सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त रू0 20,000/- की राशि से विमुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को स्वरोजगार हेतु परिसम्पत्तियां उपलब्ध कराकर उनका त्वरित पुनर्वास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार निम्नलिखित निर्णय लेती है :-

1. बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु कर्णाकित राज्यांश की राशि 10,000/- एवं केन्द्रांश की राशि 10,000/- कुल 20,000/- रू0 की पूरी राशि लाभुक को राष्ट्रीय कृत बैंक/डाकघर में खाता खोलकर उनके खाते में अविलंब स्थानांतरित कर दी जाएगी। साथ ही लाभुक को परिसम्पत्तियों के क्रय एवं लागत आदि के संबंध में जिला पदाधिकारी द्वारा उचित मार्गदर्शन भी दिया जाएगा।

2. जिला पदाधिकारी ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि लाभुक अपने खाते में स्थानांतरित राशि से जीवकोपार्जन हेतु परिसम्पत्तियों का क्रय 30 दिनों के अंतर्गत कर लेंगे और इसकी लिखित सूचना जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी को दे देंगे।

3. लाभुक द्वारा सूचना प्राप्त होने के उपरांत जिला पदाधिकारी क्रय की गई परिसम्पत्ति का सत्यापन करा कर संतुष्ट हो लेंगे कि लाभुक द्वारा अपने स्वरोजगार की दिशा में उचित कदम उठाया गया है।

4. यदि लाभुक द्वारा निर्धारित समय तक परिसम्पत्तियां नहीं क्रय की जा सकी हों तो जिला पदाधिकारी

उचित मॉनिटरिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभुक शीघ्रातिशीघ्र परिसम्पति क्रय कर लें। इस कार्य में ग्राम पंचायतों की भी सहायता ली जाएगी।

5. परिसम्पत्तियों के क्रय हो जाने के बाद जिला पदाधिकारी उचित मॉनेटरिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि लाभुक उसके माध्यम से जीवकोपार्जन कर रहे हैं एवं उनकी परिसम्पत्ति कोई हड़प नहीं रहा है।

6. उपरोक्त रू0 20,000/- के माध्यम से विमुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की इस व्यवस्था के साथ विभागीय पत्रांक संख्या 2/बी0एल0 1024/96 श्र0 नि0 19 दिनांक 10.1.97 के द्वारा पुनर्वास हेतु निर्गत सभी अन्य अनुदेशों के अनुसार विमुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

7. उपरोक्त व्यवस्था उन सभी पूर्व में विमुक्त बंधुआ मजदूरों के मामले में लागू होगी जिन्हें अभी तक पुनर्वासित नहीं कराया जा सका है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10/6/09

(सरकार के उप सचिव)

ज्ञापांक :- 1/बी0एल0 1201/2009 श्र0 सं0 1807. पटना, दिनांक - 11-6-'09

प्रतिलिपि :- उप सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/6/09

(सरकार के उप सचिव)

ज्ञापांक :- 1/बी0एल0 1201/2009 श्र0 सं0 1807. पटना, दिनांक - 11-6-'09

प्रतिलिपि :- सचिव योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/6/09

(सरकार के उप सचिव)

ज्ञापांक :- 1/बी0एल0 1201/2009 श्र0 सं0 1807. पटना, दिनांक - 11-6-'09

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिलापदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी संयुक्त श्रमायुक्त/सभी उप श्रमायुक्त (कृ0 श्र0)सहित/सभी सहायक श्रमायुक्त(कृ0 श्र0)सहित/ सभी श्रम अधीक्षक (कृ0श्र0 सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/6/09

(सरकार के उप सचिव)